मोनेटरी एंड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिव्यू

खंड XXI अंक 3 जून 2025

एमसीआईआर

विषय-वस्तु

खंड	पृष्ठ
I. मौद्रिक नीति	1-2
II. विनियमन	3
III. विदेशी मुद्रा	3
IV. वित्तीय बाजार	3
V. सरकार का ऋण प्रबंधक	4
VI. सरकार का बैंकर	4
VII. प्रकाशन	4
VII. जारी आंकड़े और सर्वेक्षण	4

संपादक की कलम से

एमसीआईआर के जून संस्करण में माह के दौरान जारी प्रमुख नीतिगत और विनियामक अपडेट प्रस्तुत किए गए हैं।

इसमें मौद्रिक नीति वक्तव्य, एमपीसी संकल्प और बैठक के कार्यवृत्त - जिसमें नीतिगत रुख को आकार देने वाले दृष्टिकोण, तर्क और विचार-विमर्श को दर्शाया गया है, शामिल हैं। इसके साथ ही, इस अंक में रिज़र्व बैंक के विभिन्न विभागों द्वारा जारी महत्वपूर्ण परिपत्र, अद्यतन निदेश और विनियामक संशोधन संकलित किए गए हैं।

इस संकलन का उद्देश्य वित्तीय और विनियामक क्षेत्र की गतिविधियों पर नज़र रखने वाले सभी हितधारकों के लिए एक त्वरित और विश्वसनीय संदर्भ के रूप में कार्य करना है। एमसीआईआर को https://mcir.rbi.org.in पर और साथ ही क्यूआर कोड को स्कैन करके देखा जा सकता है। हम आपकी प्रतिक्रिया का mcir@rbi.org.in पर स्वागत करते हैं।

पुनीत पंचोली
संपादक

I. मौद्रिक नीति

6 जून 2025 को गवर्नर का मौद्रिक नीति वक्तव्य

श्री संजय मल्होत्रा, गवर्नर ने 6 जून 2025 को मौद्रिक नीति वक्तव्य दिया। अपने आरंभिक भाषण में गवर्नर ने इस बात पर प्रकाश डाला कि मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की 55वीं बैठक भारत की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण, एक आशाजनक प्रारंभिक मानसून की पृष्ठभूमि में आयोजित की जा रही है, जबकि वैश्विक वातावरण कमजोर और अस्थिर बना हुआ है। यद्यपि अस्थायी व्यापार राहत और वार्ता के बारे में आशावाद के कारण अप्रैल से वैश्विक जोखिम थोड़े कम हुए हैं, लेकिन निरंतर मुद्रास्फीति दबावों के बीच वैश्विक संवृद्धि और व्यापार पूर्वानुमानों को अधोगामी संशोधित किया गया है। वित्तीय विखंडन में वृद्धि, जटिल प्रणालीगत जोखिम और उच्च ऋण स्तर, वैश्विक वित्तीय अस्थिरता को बढ़ा रहे हैं, विशेषकर सीमित नीतिगत गुंजाइश वाले उभरते बाजारों के लिए। इसके विपरीत, भारतीय अर्थव्यवस्था प्रमुख क्षेत्रों के मजबूत तुलन-पत्र, मूल्य, वित्तीय और राजनीतिक क्षेत्रों में समष्टि आर्थिक स्थिरता तथा जनसांख्यिकी, डिजिटलीकरण और घरेलू मांग के 3डी के समर्थन से आघात-सहनीय बनी हुई है।

मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के निर्णय और विचार-विमर्श

मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक 4-6 जून 2025 को हुई तथा समष्टि आर्थिक और वित्तीय गतिविधियों का आकलन करने के बाद, नीतिगत रेपो दर को तत्काल प्रभाव से 50 आधार अंक घटाकर 5.50% करने का निर्णय लिया गया। तदनुसार, एसडीएफ दर को 5.25% तथा एमएसएफ और बैंक दर को 5.75% पर समायोजित किया गया है।

यह निर्णय मुद्रास्फीति में उल्लेखनीय और व्यापक गिरावट के कारण लिया गया, जो 4% लक्ष्य से नीचे आ गई है और अब वर्ष के लिए 3.7% पर अनुमानित है। खाद्य और मूल मुद्रास्फीति में नरमी और पण्य की कीमतों में कमी आने के साथ, मुद्रास्फीति की संभावना, और कमी आने का समर्थन करती है। तथापि, चुनौतीपूर्ण वैश्विक माहौल के बीच संवृद्धि प्रत्याशा से कम बनी हुई है, जिससे निजी खपत और निवेश को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत समर्थन की आवश्यकता है। इस उभरती संवृद्धि-मुद्रास्फीति गतिकी को देखते हुए, एमपीसी ने दर में पहले ही अधिक कटौती का विकल्प चुना और फरवरी 2025 से दरों में 100 बीपीएस की कमी करने के बाद, अब अपना रुख निभावकारी से तटस्थ में बदल दिया है। आगे बढ़ते हुए, एमपीसी संवृद्धि और मुद्रास्फीति के बीच सही संतुलन बनाने के लिए आने वाले आंकड़ों और वैश्विक गतिविधियों पर बारीकी से नज़र रखेगी।

चलनिधि और वित्तीय बाजार की स्थिति

चलनिधि और वित्तीय बाजार की स्थिति पर बात करते हुए, गवर्नर ने कहा कि बैंकिंग प्रणाली में कुल ₹9.5 लाख करोड़ की टिकाऊ चलनिधि डाली गई है, जिससे दिसंबर के मध्य से कमी की स्थिति से मार्च के अंत तक अधिशेष की स्थिति हो गई है। यह दैनिक परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामियों को मिली धीमी प्रतिक्रिया और अप्रैल-मई के दौरान ₹2.0 लाख करोड़ के उच्च औसत दैनिक एसडीएफ़ शेष से परिलक्षित होता है। परिणामस्वरूप, भारित औसत मांग दर (डब्ल्यूएसीआर) एलएएफ दायरे के निचले स्तर पर बनी हुई है, जो बेहतर चलिनिधि का संकेत देती है और रेपो दर में कटौती के अल्पकालिक दरों में संचरण में सहायक है। तथापि, ऋण बाजार में संचरण सीमित बना हुआ है, क्योंकि यह आमतौर पर देर से होता है। धारणीय चलनिधि को और बढ़ाने के लिए, रिज़र्व बैंक ने आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) को 100 आधार अंक घटाकर एनडीटीएल का 3.0% तक करने का निर्णय लिया है, जो 6 सितंबर, 4 अक्टूबर, 1 नवंबर और 29 नवंबर 2025 के पखवाड़े में 25 बीपीएस की चार बराबर शृंखलाओं में होगा। इससे दिसंबर तक बैंकिंग प्रणाली में लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपये आएंगे और वित्तपोषण लागत कम होगी, जिससे मौद्रिक नीति संचरण में वृद्धि होगी।

वित्तीय स्थिरता

गवर्नर ने कहा कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के प्रणाली-स्तरीय वित्तीय मानदंड मजबूत बने हुए हैं, साथ ही आस्ति गुणवत्ता, चलनिधि बफर और लाभप्रदता में निरंतर सुधार हो रहा है। दिसंबर 2024 तक, ऋण-जमा अनुपात 81.84% रहा, जो वर्ष-दर-वर्ष स्थिरता बनाए रखता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) भी मजबूत मूल तत्वों को दर्शाती हैं, जिन्हें मजबूत पूंजी स्थिति और बेहतर सकल अनर्जक आस्ति (जीएनपीए) अनुपात का समर्थन प्राप्त है। खुदरा ऋण क्षेत्रों - जैसे गैर-जमानती व्यक्तिगत ऋण और क्रेडिट कार्ड प्राप्तियों - में पहले देखा गया दबाव कम हो गया है, तथापि सूक्ष्म वित्त क्षेत्र में दबाव बना हुआ है। इन क्षेत्रों में कार्यरत बैंक और एनबीएफसी अपने बिजनेस मॉडल को नए सिरे से तैयार कर रहे हैं, ऋण हामीदारी मानकों को बढ़ा रहे हैं और भविष्य में जोखिम निर्माण को कम करने के लिए वसूली प्रयासों को तेज कर रहे हैं।

जारी.....

बाह्य क्षेत्र

गवर्नर ने इस बात पर प्रकाश डाला कि 2024-25 की चौथी तिमाही में मज़बूत सेवा निर्यात और विप्रेषण अंतर्वाह के समर्थन से व्यापार घाटे में कमी के साथ, 2024-25 के लिए चालू खाता घाटा (सीसीएडी) कम रहने की आशा है। बढ़ते भू-राजनीतिक तनावों और व्यापारिक बाधाओं के बावजूद, अप्रैल 2025 में पण्य व्यापार सुदृढ़ बना रहा, तथापि आयात में तेज़ वृद्धि के कारण व्यापार घाटा और बढ़ गया। तथापि, निवल सेवाओं और विप्रेषणों में निरंतर अधिशेष इसकी भरपाई कर सकता है, जिससे 2025-26 के लिए चालू खाता घाटा टिकाऊ सीमा के भीतर बना रहेगा। वित्तपोषण के संबंध में, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफ़पीआई) 2024-25 में घटकर 1.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर रह गया क्योंकि निवेशकों ने इक्विटी में मुनाफा वसूली की, जबकि प्रत्यावर्तन और जावक एफ़डीआई में वृद्धि के कारण निवल एफ़डीआई में भी कमी आई, तथापि सकल एफ़डीआई में 14% की वृद्धि हुई, जिसने एक निवेश गंतव्य के रूप में भारत के आकर्षण को रेखांकित किया। बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) और अनिवासी जमाओं में उच्च निवल अंतर्वाह दर्ज किया गया। 30 मई 2025 तक, विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियां 691.5 अरब अमेरिकी डॉलर थीं, जो 11 महीनों के आयात और बकाया बाह्य ऋण के 96% को कवर करने के लिए पर्याप्त थीं। कुल मिलाकर, भारत का बाह्य क्षेत्र, बेहतर असुरक्षितता संकेतकों और पर्याप्त वित्तपोषण विश्वास के साथ आघात-सहनीय बना हुआ है। पूरा वक्तव्य पढ़ने के लिए, कृपया यहां क्लिक करें।

एमपीसी का संकल्प

वर्तमान और उभरती समष्टि आर्थिक स्थिति के आकलन के आधार पर, एमपीसी ने 6 जून 2025 को अपनी बैठक में चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को तत्काल प्रभाव से 50 आधार अंक घटाकर 5.50 प्रतिशत कर दिया; परिणामस्वरूप, स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) दर 5.25 प्रतिशत तथा सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर 5.75 प्रतिशत पर समायोजित हो जाएगी;

एमपीसी ने अपने रुख को निभावकारी से बदलकर तटस्थ करने का भी निर्णय लिया। तथापि, उसने यह भी कहा कि एमपीसी आने वाले आँकड़ों और उभरती संभावना का सावधानीपूर्वक आकलन करेगी ताकि मौद्रिक नीति की भविष्य की दिशा तय की जा सके और सही संवृद्धि-मुद्रास्फीति संतुलन बनाया जा सके। यह निर्णय संवृद्धि को समर्थन प्रदान करते हुए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति के लिए +/- 2 प्रतिशत के दायरे में 4 प्रतिशत के मध्यम अवधि लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य के अनुरूप है। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहां क्लिक करें।

एमपीसी का कार्यवृत्त

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45जेडबी के अंतर्गत गठित मौद्रिक नीति समिति की 55वीं बैठक 4 से 6 जून 2025 के दौरान आयोजित की गई।

तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45जेडएल के अंतर्गत, रिज़र्व बैंक ने 20 जून 2025 को, अर्थात् एमपीसी की बैठक के 14वें दिन, बैठक की कार्यवाही का कार्यवृत्त प्रकाशित किया।

एमपीसी ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपभोक्ता विश्वास, परिवारों की मुद्रास्फीति प्रत्याशा, कॉर्पोरेट क्षेत्र के कार्यनिष्पादन, ऋण की स्थिति, औद्योगिक, सेवाओं और अवसंरचना क्षेत्रों की संभावनाएं और पेशेवर पूर्वानुमानकर्ताओं के अनुमानों का आकलन करने के लिए किए गए सर्वेक्षणों की समीक्षा की। एमपीसी ने इन संभावनाओं के विभिन्न जोखिमों के इर्द-गिर्द स्टाफ के समष्टि आर्थिक अनुमानों और वैकल्पिक परिदृश्यों की विस्तृत रूप से भी समीक्षा की। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहां क्लिक करें।

मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक – पुनर्निर्धारित

रिज़र्व बैंक ने 6 जून 2025 को घोषणा की कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की अगली बैठक, जो पहले दिनांक 26 मार्च 2025 की प्रेस प्रकाशनी 2024-2025/2464 के अनुसार 5-7 अगस्त 2025 के दौरान निर्धारित थी, प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं के कारण 4-6 अगस्त 2025 के लिए पुनर्निर्धारित की गई है। यह संशोधन भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45ज़ेडआई(4) के अनुसार किया गया है। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहां क्लिक करें।

II. विनियमन

आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) का अनुरक्षण

रिज़र्व बैंक ने 6 जून 2025 को एक अधिसूचना जारी कर गवर्नर के दिनांक 6 जून 2025 के वक्तव्य में बताए अनुसार सभी बैंकों के आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) में 100 आधार अंकों की चरणबद्ध कटौती की घोषणा की। सीआरआर को 25-25 आधार अंकों की चार बराबर शृंखलाओं में कम किया जाएगा, जिसे 6 सितंबर, 4 अक्तूबर, 1 नवंबर और 29 नवंबर 2025 से शुरू होने वाले क्रमिक रिपोर्टिंग पखवाड़ों में लागू किया जाएगा, जिससे यह वर्तमान स्तर से घटकर निवल माँग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के 3.0% पर आ जाएगा। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहां क्लिक करें।

बृहत एक्सपोज़र ढांचा

रिज़र्व बैंक ने 9 जून 2025 को छूट प्राप्त ऋणों की सूची का विस्तार करने के लिए बृहत ऋण ढाँचे (एलईएफ) में संशोधन किया। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार लक्ष्यों में कमी के लिए नाबार्ड में रखी गई जमाराशियों के अलावा, एनएचबी, सिडबी, या आरबीआई द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य संस्था के पास समान कमी के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा किए गए योगदान को भी तत्काल प्रभाव से एलईएफ के अंतर्गत एक्सपोज़र सीमा से बाहर रखा जाएगा। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहां क्लिक करें।

बैंकों में निष्क्रिय खाते/अदावी जमाराशियाँ - संशोधित अनुदेश (संशोधन) 2025

रिज़र्व बैंक ने 12 जून 2025 को बैंकों में निष्क्रिय खाते/अदावी जमाराशियाँ - संशोधित अनुदेश (संशोधन) 2025 शीर्षक से संशोधित अनुदेश जारी किए, जो दिनांक 1 जनवरी 2024 के परिपत्र DOR.SOG (LEG).REC/64/09.08.024/2023-24 के माध्यम से जारी मौजूदा दिशानिर्देशों को संशोधित करते हैं। ये संशोधन, तत्काल प्रभाव से, बैंकों को गैर- घरेलू शाखाओं सहित सभी शाखाओं में निष्क्रिय खातों और अदावी जमाराशियों को सक्रिय करने के लिए केवाईसी अद्यतन सुविधाएं प्रदान करने का अधिदेश देते हैं। बैंकों को मास्टर निदेश - अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016 का अनुपालन करते हुए वीडियो-ग्राहक पहचान प्रक्रिया (वी-सीआईपी) के माध्यम से केवाईसी अद्यतन की सुविधा प्रदान करने का प्रयास करना भी अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त, उपरोक्त मास्टर निदेश के पैराग्राफ 38(ए)(iiए) में निर्धारित किए अनुसार निष्क्रिय खातों को सक्रिय करने के लिए बैंक के प्राधिकृत कारोबार प्रतिनिधि की सेवाओं का उपयोग किया जा सकता है। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहां क्लिक करें।

केवाईसी का अद्यतन/आवधिक अद्यतन करना

रिज़र्व बैंक ने 12 जून 2025 को भारतीय रिज़र्व बैंक (अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)) (संशोधन) निदेश, 2025 के अंतर्गत संशोधित निर्देश जारी किए, ताकि आवधिक केवाईसी अद्यतनीकरण में, विशेष रूप से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी), इलेक्ट्रॉनिक लाभ अंतरण (ईबीटी), छात्रवृत्ति और पीएमजेडीवाई से संबंधित खातों में बड़े विलंब को दूर किया जा सके। ग्राहकों के लिए प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए, बैंकों को अब केवाईसी अद्यतनीकरण की सुविधा के लिए कारोबार प्रतिनिधि (बीसी) का उपयोग करने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा, बैंकों को सूचित किया गया है कि वे 2 दिसंबर 2024 को जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, विशेष रूप से अधिक लंबित मामलों वाली ग्रामीण और अर्ध-शहरी शाखाओं में गहन केवाईसी अद्यतन अभियान आयोजित करें और खाता सक्रियण के प्रति सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाएं। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहां क्लिक करें।

भारतीय रिज़र्व बैंक (परियोजना वित्त) निदेश, 2025

रिज़र्व बैंक ने 19 जून 2025 को हितधारकों की टिप्पणियों के लिए 03 मई 2024 को 'अग्रिमों से संबंधित आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण हेतु विवेकपूर्ण ढाँचा - कार्यान्वयनाधीन परियोजनाएँ' पर मसौदा दिशानिर्देश जारी किए। मसौदा दिशानिर्देशों में अंतर्निहित जोखिमों के समाधान के साथ-साथ परियोजना ऋणों के वित्तपोषण हेतु विनियमित संस्थाओं (आरई) के लिए एक सक्षम ढाँचे का प्रस्ताव किया गया है। निदेशों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित बातें शामिल हैं: i) परियोजना वित्त एक्सपोज़र में तनाव के समाधान के लिए एक सिद्धांत-आधारित व्यवस्था को अपनाना, जो सभी आरई में सुसंगत हो। ii) अवसंरचना और गैर-अवसंरचना क्षेत्रों के लिए क्रमशः तीन और दो वर्ष की समग्र सीमा के साथ स्वीकार्य 'वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ करने की तिथि' (डीसीसीओ) विस्तार को युक्तिसंगत बनाना। iii) वाणिज्यिक मूल्यांकन के आधार पर, उपरोक्त सीमा के भीतर डीसीसीओ को विस्तारित करने में आरई को लचीलापन प्रदान करना। iv) निर्माणाधीन परियोजनाओं के लिए मानक परिसंपत्ति प्रावधान आवश्यकता को 1% तक युक्तिसंगत बनाना, जो डीसीसीओ स्थगन की प्रत्येक तिमाही के लिए धीरे-धीरे बढ़ेगा। हालाँकि, निर्माणाधीन सीआरई एक्सपोज़र की आवश्यकताएँ थोड़ी अधिक अर्थात 1.25% होंगी। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहां क्लिक करें।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार मानदंडों की समीक्षा - लघु वित्त बैंक

रिज़र्व बैंक ने 20 जून 2025 को लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) के लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण (पीएसएल) मानदंडों को संशोधित किया, जिससे समग्र पीएसएल लक्ष्य को, समायोजित निवल बैंक ऋण(एएनबीसी) या तुलन पत्र से इतर एक्सपोज़र के समतुल्य ऋण(सीईओबीई), जो भी अधिक हो, के 75 प्रतिशत से घटाकर 60 प्रतिशत कर दिया गया, जो वित्तीय वर्ष 2025-26 से प्रभावी होगा। मौजूदा पीएसएल दिशानिर्देशों के अंतर्गत, एसएफबी, एएनबीसी या सीईओबीई का 40 प्रतिशत विभिन्न उप-क्षेत्रों को आवंटित करना जारी रखेंगे, जबकि शेष 20 प्रतिशत किसी एक या एक से अधिक पीएसएल उप-क्षेत्रों को निर्देशित किया जा सकता है जहाँ बैंक को प्रतिस्पर्धात्मक लाभ हो। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहां क्लिक करें।

आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (एईपीएस) टचपॉइंट ऑपरेटरों की उचित जांच

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने भारतीय रिज़र्व बैंक [आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (एईपीएस) - एईपीएस टचपॉइंट ऑपरेटरों की उचित जांच] निदेश, 2025 जारी किया। ये निदेश 1 जनवरी 2026 से लागू होंगे। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहां क्लिक करें।

एसडीएफ और एमएसएफ - समय में परिवर्तन

रिज़र्व बैंक ने 30 जून 2025 को स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) की उपलब्धता का समय 1 जुलाई 2025 से अपराह्न 7:00 बजे से अपराह्न 11:59 बजे के बीच बढ़ा दिया। यह मांग मुद्रा के लिए बाज़ार समय को अपराह्न 7:00 बजे तक बढ़ाए जाने के मद्देनज़र किया गया है। मौजूदा एसडीएफ और एमएसएफ योजनाओं के अन्य सभी नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहां क्लिक करें।

III. विदेशी मुद्रा

शिपिंग पोत का आयात – छूट

रिज़र्व बैंक ने 13 जून 2025 को एक परिपत्र जारी कर आयातकों को बैंक गारंटी अथवा शर्त रहित, अप्रतिसंहरणीय, स्टैंडबाय साख-पत्र के बिना शिपिंग पोत के आयात के लिए 50 मिलियन अमरीकी डॉलर तक का अग्रिम विप्रेषण करने की अनुमति दी। इस छूट का उद्देश्य क्षेत्र-विशिष्ट बाधाओं को ध्यान में रखते हुए व्यापार सुगमता को बढ़ाना है और यह 1 जनवरी 2016 के मास्टर निदेश - माल और सेवाओं के आयात के पैरा सी.1.3.3 में निर्दिष्ट शर्तों के अनुपालन के अधीन है। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहां क्लिक करें।

IV. वित्तीय बाज़ार

भारतीय रिज़र्व बैंक (इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म) निदेश, 2025

रिज़र्व बैंक ने 16 जून 2025 को भारतीय रिज़र्व बैंक (इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म) निदेश, 2025 जारी किए। ये निदेश 2018 के निदेशों में उल्लिखित विनियामक ढाँचे की समीक्षा के बाद और 8 फ़रवरी 2024 को विकासात्मक एवं विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुरूप हैं। जन सामान्य की प्रतिक्रिया के लिए निदेशों का मसौदा 29 अप्रैल 2024 को प्रकाशित किए गए थे और प्राप्त सुझावों के आधार पर, अब निदेशों को अंतिम रूप दिया गया है। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहां क्लिक करें।

विभिन्न बाज़ारों के व्यापार और निपटान समय की व्यापक समीक्षा पर कार्य दल की अनुशंसा

रिज़र्व बैंक ने रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित वित्तीय बाज़ारों के व्यापार और निपटान समय की व्यापक समीक्षा करने के लिए कार्य दल (अध्यक्ष: श्री राधा श्याम रथ) का गठन किया था। कार्य दल ने बाज़ार के और विकास, मूल्य निर्धारण और चलनिधि की आवश्यकताओं के अनुकूलन को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य अपनी अनुशंसाएं प्रदान कीं। दिनांक 1 जुलाई 2025 से मांग मुद्रा के लिए बाजार का समय बढ़ाकर अपराह्न 7:00 बजे तक कर दिया जाएगा। तदनुसार, संशोधित बाजार समय पूर्वाह्न 9:00 बजे से अपराह्न 7:00 बजे तक होगा। दिनांक 1 अगस्त 2025 से बाजार रेपो और ट्राई-पार्टी रेपो (टीआरईपी) के व्यापर समय को बढ़ाकर अपराह्न 4:00 बजे तक कर दिये जाएंगे। तदनुसार, संशोधित व्यापार समय पूर्वाह्न 9:00 बजे से अपराह्न 4:00 बजे तक होंगे। सरकारी प्रतिभूति बाजार, विदेशी मुद्रा बाजार और ब्याज दर डेरिवेटिव बाजार के लिए व्यापार समय यथावत् रहेंगे। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहां क्लिक करें।

V. सरकार के लिए ऋण प्रबंधक

अस्थिर दर वाले बॉण्ड 2031

7 जून 2025 से 6 दिसंबर 2025 तक की छमाही के लिए भारत सरकार के अस्थिर दर वाले बॉण्ड 2031 (एफ़आरबी 2031) पर लागू ब्याज दर 6.63 प्रतिशत प्रति वर्ष होगी।

यह विदित है कि एफआरबी 2031 के लिए एक कूपन निर्धारित होगा, जिसमें 182 दिवसीय खजाना बिलों की पिछली 3 नीलामियों (दर निर्धारण दिवस अर्थात् 7 जून 2025 से) के भारित औसत प्रतिफल के बराबर आधार दर के साथ एक प्रतिशत का एक नियत स्प्रैड होगा। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहां क्लिक करें।

राज्य सरकार प्रतिभूतियों में स्ट्रिपिंग/ पुनर्गठन

रिज़र्व बैंक ने 12 जून 2025 को राज्य सरकारों/ संघ शासित प्रदेशों और बाज़ार प्रतिभागियों के साथ परामर्श के बाद, राज्य सरकार की प्रतिभूतियों (एसजीएस) में पंजीकृत ब्याज और प्रतिभूतियों के मूलधन की अलग-अलग ट्रेडिंग (स्ट्रिप्स) शुरू करने की घोषणा की। यह सुविधा, जो 1 अप्रैल 2010 से पात्र केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में पहले से ही उपलब्ध है, अब 14 वर्ष तक की अवशिष्ट परिपक्वता और ₹1,000 करोड़ की न्यूनतम बकाया राशि वाले नियत कूपन एसजीएस पर लागू होगी, बशर्ते वे एसएलआर निवेश के रूप में योग्य हों और हस्तांतरणीय हों। एसजीएल खातों वाले बाज़ार प्रतिभागी सीधे ई-कुबेर प्रणाली के माध्यम से अनुरोध कर सकते हैं, जबकि गिल्ट खाताधारक अपने अनुरोधों को संरक्षकों के माध्यम से भेज सकते हैं। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहां क्लिक करें।

VI. सरकार का बैंकर

एजेंसी बैंकों द्वारा सरकारी कारोबार का संचालन

रिज़र्व बैंक ने 16 जून 2025 को एजेंसी बैंकों पर लागू एजेंसी कमीशन दरों को संशोधित किया, जैसा कि 1 अप्रैल 2025 को जारी एजेंसी बैंक द्वारा सरकारी कारोबार के संचालन पर मास्टर परिपत्र – एजेंसी कमीशन का भुगतान में उल्लिखित है। 1 अप्रैल 2025 से लागू संशोधित दरें इस प्रकार हैं: भौतिक प्राप्तियों के लिए ₹40 प्रति लेनदेन, ई-मोड प्राप्तियों के लिए ₹12, पेंशन भुगतान लेनदेन के लिए ₹80 और अन्य भुगतानों के लिए ₹100 टर्नओवर के लिए 7 पैसे। इसके अतिरिक्त, एजेंसी बैंकों द्वारा किए जाने वाले सभी भुगतान लेनदेन पर अब एजेंसी कमीशन देय होगा, सिवाय उन लेनदेन के जो पहले से ही वित्त पोषित हैं या जिनके लिए संबंधित सरकारों द्वारा पहले ही मुआवजा दिया जा चुका है। मास्टर परिपत्र के अन्य सभी प्रावधान यथावत् रहेंगे। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहां क्लिक करें।

VII. प्रकाशन

भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन

रिज़र्व बैंक ने 25 जून 2025 को अपने मासिक बुलेटिन का जून 2025 अंक जारी किया। इस बुलेटिन में द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य (06 जून 2025), दो भाषण, पाँच आलेख और वर्तमान सांख्यिकी शामिल हैं।

पांच आलेख इस प्रकार हैं: I. अर्थव्यवस्था की स्थिति; II. भारत के लिए वित्तीय स्थिति सूचकांक: एक उच्च आवृत्ति दृष्टिकोण; III. मौद्रिक नीति संचरण का तुलन-पत्र चैनल: भारतीय विनिर्माण फर्मों से अंतर्दृष्टि; IV. सीडी निर्गम के चालक: एक अनुभवजन्य मूल्यांकन; और V. भारत में सीपीआई मुद्रास्फीति का अनुमान लगाना: सांख्यिकीय और मशीन लर्निंग मॉडल के 'समूह' से पूर्वानुमानों का संयोजन। दो भाषण इस प्रकार हैं: I. श्री संजय मल्होत्रा, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 23 जून 2025 को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के 58वें दीक्षांत समारोह में दीक्षांत भाषण II. वित्तीय समावेशन की सीमाओं का विस्तार- एक विनियामक परिप्रेक्ष्य (श्री एम राजेश्वर राव, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिनांक 5 जून 2025 को मुंबई में वित्तीय समावेशन के लिए एचएसबीसी के कार्यक्रम में दिया गया संबोधन)। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहां क्लिक करें।

वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 30 जून 2025 को वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (एफएसआर) का जून 2025 अंक जारी किया, जो भारतीय वित्तीय प्रणाली की आघात सहनीयता और वित्तीय स्थिरता के जोखिमों पर वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी) की उप-समिति के सामूहिक मूल्यांकन को दर्शाता है। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहां क्लिक करें।

VIII. जारी आंकड़े और सर्वेक्षण

जून 2025 के दौरान रिज़र्व बैंक द्वारा जारी महत्वपूर्ण आंकड़े और सर्वेक्षण इस प्रकार हैं:

क्रम सं	शीर्षक
1	भारतीय उद्योग में विदेशी सहयोग पर सर्वेक्षण का 15वां दौर
2	म्यूच्युअल फंड और आस्ति प्रबंधन कंपनियों की विदेशी देयताओं और आस्तियों पर सर्वेक्षण: 2024-25 दौर
3	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं (आईटीईएस) के निर्यात:2024-25 पर सर्वेक्षण
4	शहरी उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण (यूसीसीएस)
5	ग्रामीण उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण (आरसीसीएस)
6	परिवारों की मुद्रास्फीति प्रत्याशा संबंधी सर्वेक्षण (आईईएसएच)
7	समष्टि-आर्थिक सूचकांकों पर पेशेवर पूर्वानुमानकर्ता सर्वेक्षण - 94 दौर के परिणाम
8	वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही के दौरान निजी कॉर्पोरेट कारोबार क्षेत्र का कार्य-निष्पादन
9	मई 2025 के लिए समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश
10	2024-25 की चौथी तिमाही के लिए अखिल भारतीय आवास मूल्य सूचकांक (एचपीआई)
11	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए पर्यवेक्षी डेटा गुणवत्ता सूचकांक (मार्च 2025)
12	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की ऋण और जमा दरें – जून 2025
13	मई 2025 माह के लिए भारत के अंतर्राष्ट्रीय सेवा व्यापार संबंधी मासिक आंकड़े
14	वर्ष 2024-25 के दौरान निजी कॉर्पोरेट कारोबार क्षेत्र का कार्य-निष्पादन
15	2024-25 की चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च) के दौरान भारत के भुगतान संतुलन की गतिविधियां

पुनीत पंचोली द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई - 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित। मोनेटरी एंड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रीव्यू https://mcir.rbi.org.in पर उपलब्ध है।